THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The items to be added or deleted would depend on the latest consumption pattern as is revealed by the working class family income and Expenditure Survey 1981-82. The weightage on different items would be based on the relative percentage expenditure.

(d) and (e) Some suggestions have been made by the Expert Committee on the compilation of index numbers. The Committee consisted of the following:—

1. Dr. K.C. Seal — Chairman
   Director General
   Central Statistical Organisation
   Deptt. of Statistics
   New Delhi
2. Dr. Mahfooz Ahmed — Member
   Economic Adviser
   Ministry of Finance
   Deptt. of Economic Affairs
   New Delhi.
3. Shri A.V.R. Char — Member
   Advisor
   Labour Employment & Manpower
   Division Planning Commission
   New Delhi.
4. Shri H. Pais, — Member
   Joint Secretary
   Ministry of Labour
   New Delhi.
5. Shri R.S. Deshpande — Member Secretary
   Deputy Secretary
   Ministry of Labour
   New Delhi

The recommendations of the Committee are under consideration of the Government.

Under Invoicing by Diamond Exporters

105. SHRI ABDUL REHMAN SHEIKH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the activities of some prominent diamond traders of the country who have been manupulating the diamond export business and putting the country to an annual loss of over 1000 crores by under-invoicing;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether any investigation has been conducted into the matter and if so, what are the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) No large scale under-invoicing in the export of diamonds has come to the notice of this department in the recent past.

(b) and (c) In view of (a) above, does not arise.

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

106. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की प्रति वर्ष चार बैठकें नहीं की गई हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को पर्यवेक्षक या सदस्य के रूप मे नाम निर्देशित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) मंत्रालय के मुख्यालयों, अन्य निगमों और अधीनस्थ संस्थानों द्वारा प्रकाशित मासिक और त्रैमासिक पत्रिकाओं की संख्या कितनी कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि यह पत्रिकाएं संसद सदस्य को नहीं भजी जाती और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन को उनके मंत्रालय द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया ;

(च) क्या मंत्रालय ने वहां पर प्रदर्शनों में रखे जाने के लिये अपने प्रकाशन भेजे थे ; और

(छ) तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हिन्दी कर्मचारियों को नियमित करने के लिये क्या मापदंड है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (छ) रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष 1983 की तीनों तिमाहियों में तीन बैठकें हुई हैं । जबकि 1981 और 1982 में एक-एक बैठक हुई है ।

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के 30 सदस्य है जिनमें से 12 गैर-सरकारी सदस्य हैं ।

रक्षा मंत्रालय के अधीन जन संपर्क निदेशालय हर रविवार को सशस्त्र सेनाओं के लिये हिन्दी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में "सैनिक समाचार" सचित्र साप्ताहिक पत्रिका निकालता है । इस पत्रिका की हिन्दी प्रतियां रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सभी संसद सदस्यों और अंग्रेजी प्रतियां संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभी सदस्यों को निशुल्क दी जाती हैं । रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

रक्षा मंत्रालय ने तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में अपना पूरा सहयोग दिया है। उसने सम्मेलन के कार्य के लिये उसमें अपने कर्मचारियों को भेजा है, सम्मेलन में आयोजित प्रदर्शनी के लिये पत्र-पत्रिकाओं सहित आवश्यक सामग्री भेजी है । इस सामग्री में रक्षा मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति दिखाई गई है । सैनिक समाचार की वह प्रति भी प्रदर्शित की गई जिसमें विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में हिन्दी के प्रयोग के बारे में एक परिशिष्ट जोडा गया है ।

जहां तक तदर्थ हिन्दी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का संबंध है, राजभाषा के केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन कर लिया है और तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मामलों पर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

उड़ानगत पत्रिकाओं की सप्लाई हांगकांग की विदेशी कंपनी द्वारा किया जाना

107. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उडानगत पत्रिकाओं "नमस्कार" और "स्वागत" की सप्लाई हांगकांग की एक विदेशी कंपनी द्वारा की जाती है जिन पर मुद्रित प्रतियों की संख्या नहीं छपी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हालांकि ये पत्रिकायें उनके विभाग को निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं, किन्तु इन्हें सप्लाई करने वालों को विज्ञापन और निःशुल्क विमान यात्रा पास दिये जाते है और उन्हें लाखों रुपये के अन्य विज्ञापन भी प्राप्त होते हैं ;

(ग) ऐसे अन्य देशों के क्या नाम हैं जिनको उड़ानगत पत्रिकाओं की सप्लाई विदेशी कम्पनियों द्वारा की जाती है ; और